

मोदी सरकार की विदेश नीति सफल रही या असफल?

यह मुद्दा रहेगा, संसद के आगामी सत्र में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जून। मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलताओं को लेकर बढ़ती आलोचना अब सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने से इनकार किए जाने के बाद विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर घोर लापरवाही और कई कूटनीतिक मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से कोई ठोस परिणाम न निकलने को लेकर विपक्ष ने सरकार की कड़ी आलोचना की है और 33 देशों का दौरा करने वाले बहुप्रचारित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद में कथित भूमिका को उजागर कर वैश्विक समर्थन जुटाना था, वह भी इस्लामाबाद को अलग-थलग करने की दिशा में कोई ठोस आश्वासन या अंतरराष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में असफल रहा है। कूटनीतिक शर्मिंदगी को और गहरा करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की

- विपक्ष का कहना है, बहुप्रचारित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जो 33 राज्यों में भेजा गया, उसे, आतंकवाद के प्रश्न पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयास में खास सफलता नहीं मिली और न ही कोई ठोस आश्वासन मिला।
- दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन्स की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी कमेटी में पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन के रूप में मनोनीत होना, भारत के उन प्रयासों के लिए भारी धक्का है, जो भारत काफी समय से कर रहा है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी नेटवर्क्स को प्रश्रय देने की सच्चाई को उजागर करने के लिए।
- साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा करने से कि उनकी सक्रिय भूमिका के कारण भारत व पाक के बीच “सीज़फायर” हुई, से भारत की विदेश नीति की “स्वतंत्रता” पर आघात हुआ है और अब तो ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि उनको “सीज़फायर” लागू करने के प्रयास में रूस का भी समर्थन प्राप्त था।
- सरकार का इस बारे में यह कहना है कि दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति सही दिशा में अग्रसर है तथा छोटे-मोटे घटनाक्रमों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

आतंकवाद-रोधी समिति में पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाना, आतंकी नेटवर्क को पनाह एवं संरक्षण देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने से सम्बंधित भारत के लम्बे समय से चल रहे प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह घटनाक्रम भारत की वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लम्बे समय से चली आ रही मुहिम की साख को कमजोर करता है। स्थिति को और पेचीदा बनाते हुए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह नया दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच “तनावपूर्ण गतिरोध” के दौरान युद्धिवराम कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इस प्रक्रिया में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सहयोग किया था। इस दावे ने भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की इन टिप्पणियों ने भारत की बड़ी शक्तियों पर बढ़ती निर्भरता और सुरक्षा मामलों पर सीमित होती जा रही कूटनीतिक स्वतंत्रता को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नयी दिल्ली, 06 जून। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025, तीन अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की शुरुवार को अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने एनबीई की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की अनुमति दे दी। परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होगी।

अदालत ने इस संस्था की दलीलों विस्तार पूर्वक सुनने के बाद परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पहले 30 मई को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने अदिति और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनबीई को 15 जून को पूर्व निर्धारित दो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने ट्रंप-मस्क की सार्वजनिक छींटाकशी व झगड़े पर कटाक्ष किया

कांग्रेस ने कहा, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, यह ट्रंप व मस्क को अडानी व मोदी की “दोस्ती” से सीखना चाहिए

- कांग्रेस ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि मोदी-अडानी “दोस्ती” पिछले तेईस सालों से चल रही है और कोई बदमजगी की बात न सुनी और न देखी।
- जैसा कि विदित ही है, मस्क ने ट्रम्प के व्यक्तिगत आचरण को भी नहीं बक्शा और कहा कि एफ्टीन फाइल्स इसलिए सार्वजनिक नहीं हो रहीं, क्योंकि उनमें राष्ट्रपति ट्रंप का नाम है। एफ्टीन एक अंतर्राष्ट्रीय दलाल थे, जिन पर हाई-सोसायटी की पार्टियों में युवतियों व बच्चियों को सप्लाई करने का आरोप है।

आलोचना की। इस बिल को हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित किया है। इसके बाद मस्क ने एक्स पर धमाका करते हुए लिखा: “अब असली बम गिराने का वकत है: असली ट्रंप तो एस्पटीन फाइल्स में हैं। यही असली वजह है कि उन फाइल्स को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुडलक डोजेटी।” हालांकि मस्क ने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया, फिर भी यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया।

ब्रिक्स देशों ने भारत की आतंक के खिलाफ “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति पर सहमति दी

नयी दिल्ली। ब्राजीलिया, 06 जून। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सहमति जताई है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भारत सहित, 10

सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष अघ्यक्ष ओम बिड़ला सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिक्स संसदीय फोरम का 12वां सम्मेलन भारत में होगा, इसलिए सम्मेलन के अंतिम दिन बिरला को अध्यक्षता सौंपी गई है। ब्रिक्स संसदीय

सम्मेलन में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिख, इथियोपिया और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए साझा घोषणापत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वक्फ संबंधित उम्मीद पोर्टल लॉन्च

नयी दिल्ली, 06 जून। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने केंद्रीय पोर्टल ‘उम्मीद’ का शुभारंभ करने के बाद शुरुकार को कहा कि यह वक्फ संपत्ति प्रबंधन तथा प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। रिजिजू ने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी। यह पोर्टल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

विदेशी छात्रों पर वीसा प्रतिबंध के आदेश पर रोक

सैन फ्रांसिस्को, 06 जून। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोज ने एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया, जो ट्रम्प द्वारा बुधवार को जारी किए गए आदेश के क्रियावचन को रोकता है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए देश में प्रवेश करने की अंतरराष्ट्रीय छात्रों की क्षमता बहाल हो जाएगी। ट्रम्प की घोषणा और होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के प्रयास को लागू करने पर रोक लगाने वाले आदेश को जारी करते हुए बरोज ने लिखा कि वह सुनवाई लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। न्यायाधीस बरोज ने माना कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस बात

के “पर्याप्त सबूत” पेश किए हैं कि घोषणा से तत्काल और अपूरणीय क्षति होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लक्षित करने वाली ट्रम्प की घोषणा पिछले महीने के अंत में डीएचएस द्वारा स्ट्रूट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रमाणन को रद्द करके विदेशी विद्यार्थियों को नामांकित करने की हार्वर्ड की क्षमता को सीमित करने के प्रयास के बाद हुई।

भगवान सिंह रोलसाबसर का निधन

जयपुर, 6 जून। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाबसर का गुरुवार देर रात जयपुर में निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके

- क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक की मृत्यु पर मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दुःख व्यक्त किया।

निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे सहित, कई नेताओं ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोलसाहबसर के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या “इमरजेंसी” पर बहस करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत होगा?

कांग्रेस इस अफवाह से विचलित है तथा संभावित सत्र को पहलगाम व ऑपरेशन सिंदूर की कमियों से ध्यान हटाने की साजिश बताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जून। फिलहाल भारत सरकार की ओर से 25 जून 2025 को 1975 की इमरजेंसी पर चर्चा के लिए किसी विशेष संसद सत्र को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बजाय, सरकार ने 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने की घोषणा की है, ताकि विशेष सत्र की मांगों को रोका जा सके। तथापि, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सरकार 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर

- हालांकि, सरकार की ओर से ऐसे सत्र बुलाने या न बुलाने के बारे में अधिकृत रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, पर, इंडिया गठबंधन, जिसे 16 राजनीतिक दल, जैसे, कांग्रेस, सपा, डीएमके तथा तृणमूल कांग्रेस आदि पार्टियां शामिल हैं, ने प्र.मंत्री से आग्रह किया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर व देश की सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण हो सके।

एक विशेष सत्र आयोजित करने पर विचार कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस संभावित कदम की आलोचना करते हुए इसे हाल की

पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन ‘सिंदूर’ जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब आर.टी.जी.एस. से पैसा ट्रांसफर लगभग सभी करते हैं

पर, इस रियल टाइम सैटलमेंट व्यवस्था (आर.टी.जी.एस.) की जितनी उपयोगिता आज है, उतनी ही रोचक उसकी ऐतिहासिक कहानी भी है

-अंजन रॉय-
नई दिल्ली, 6 जून। अगर आपने अपने बैंक खाते से किसी अन्य खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो संभवतः आपने आर.टी.जी.एस. प्रणाली का उपयोग किया होगा। यह तो ज्ञात है, लेकिन आर.टी.जी.एस. प्लेटफॉर्म और उसके विकास के बारे में बहुत कम जानकारी है। रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) प्रणाली को मूल रूप से विभिन्न देशों के बैंकों के बीच बैंक खातों के सैटलमेंट के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद, विजयी देशों ने जर्मनी से “वॉर डैमेजेज” (युद्ध में हुई भारी क्षति) की भरपाई की मांग की।
- यह रकम बैंक फॉर इंटरनैशनल सैटलमेंट (बी.आई.एस.) को ट्रांसफर होती थी, उसके बाद बी.आई.एस. विजयी शक्तियों के दावों को “सैटल” करता था। पर, 1932 के वरसाय एग्रीमेंट के बाद, यह महसूस किया गया कि जर्मनी इन दावों की रकम देने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतः, बी.आई.एस. का रोल खत्म सा मान लिया गया था। (बी.आई.एस.) द्वारा विकसित किया गया था। बाद में इसका उपयोग तेजी से

बढ़ा। अब, बी.आई.एस., बैंकिंग से जुड़े खतरों से विवेकपूर्ण तरीके से निपटने के नियम बनाने वाली प्रमुख संस्था है। बेसल एक, बेसल दो, और बेसल तीन - ये बैंकों के लिए, उनके जोखिम के संदर्भ कैपिटल रिकवायरमेंट (पूंजी की आवश्यकता) के तीन लैवल हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि बैंक अपने व्यापार के स्तर और आकार के अनुसार कितनी स्वयं की पूंजी बनाए रखें। इन्हें बेसल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (पूंजी पर्याप्तता अनुपात) कहा जाता है। इस प्रकार, बी.आई.एस. (बैंक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)